

समाहरणालय, मधेपुरा  
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक 323-2 / सा0सु0को0.

प्रेषक, जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

सेवा में, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

मधेपुरा, दिनांक 24-7-13,

विषय- चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (वृद्धावस्था पेंशन) में (विशेष घटक) के पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु द्वितीय किस्त कुल रु0-1,00,000=00 (एक लाख) रुपये मात्र का उपावटन।

प्रसंग- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार-पटना के पत्र सं0-01/ सा0सु0 बजट-राज्य वृद्धावस्था -10/2013-स0क0-45 पटना, दिनांक-01/07/2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 एवं 7729 दिनांक-26.07.2012 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं0-1003 दिनांक-14.05.2013 के आलोक में विशेष घटक के पेंशनधारियों के पेंशन नगद भुगतान हेतु द्वितीय संलग्न विवरणी स्तम्भ- 4 के अनुसार कुल रु0 1,00,000=00 (एक लाख ) रुपये मात्र का उपावटित किया जाता है।

- उपावटित राशि माँग सं0-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0104-बिहार राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-पेंतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या-P-2235607890104 तथा स्कीम कोड-WEL-5502 से विकलनीय होगा।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावटित राशि कोषागार से निकासी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिस मद में राशि उपावटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।
- उपावटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- उपावटित राशि का विवरणी संलग्न है।  
उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (विशेष धटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा 31 06 मद में प्रखण्डवार/निकायवार द्वितीय किस्त का उपावंटन:-

क्र० सं०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पूर्व में उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2			5
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	12000	10000	22000
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	10000	8000	18000
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	2000	2000	4000
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	10000	8000	18000
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	800	800	1600
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	0	0	0
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	35000	24000	59000
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	35000	24000	59000
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	0	0	0
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	0	0	0
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	7200	7200	14400
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	6000	6000	12000
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	12000	10000	22000
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	0	0	0
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	0	0	0
	कुल योग :-	130000	100000	230000

मो० (एक लाख ) रु० मात्र।

  
जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।